

न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण क्रमांक ०५ / बी-121/2015-16

: आदेश ::

(आज दिनांक ०९ / 10 / 2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 20.06.2015 को घटनास्थल ग्राम सुखीबावडी तहसील अलीराजपुर में सड़क दुर्घटना होने से डेकलिया पिता केकडिया निवासी ग्राम बोरकुआ तहसील अलीराजपुर की सड़क दुर्घटना (मोटरसाईकिल से गिरने पर)से मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत एवं एफ.आई.आर. पी.एम., मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक के वारिशान में उसकी पत्नि सकरी पति स्व डेकलिया जाति भील निवासी ग्राम बोरकुआ तहसील अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते है।

उक्त व्यय मांग संख्या 02-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

SAL
(शेखर वर्मा)
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर दिनांक..... ०९/१०/२०१५

पृ०क/ ०२५ /रीडर/2015
प्रतिलिपि:-

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर ।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट ।
- 5 तहसीलदार तहसील जोबट
- 6 सकरी पति स्व डेकलिया जाति भील निवासी ग्राम बोरकुआ तहसील अलीराजपुर

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर